

क्षति पूरक वनीकरण हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
शर्तों के अनुरूप आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने की वचनबद्धता का
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपक्रम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजनेस प्लान योजना के तहत, क्रियान्वित की जाने वाली 220 के0वी0-सब स्टेशन, बबीना, झांसी से 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन, बबीना एम0ई0एस0 झांसी तक 33के0वी लिंक विद्युत लाइन के निर्माण के अनुक्रम में, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के स्तम्भ संख्या 27+980 के पास स्थित संरक्षित वन भूमि, बबीना आरक्षित वन (डांग सरकार), पन्ती वन ब्लॉक (डांग सरकार) एवं सेंघनी वन ब्लॉक (डांग सरकार) की आरक्षित वन क्षेत्र में, वन भूमि व वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक धनराशि का भुगतान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड झांसी द्वारा किया जाएगा।

29-6-21
(अमित कुमार)
अधिशायी अभियंता
Executive Engineer
विद्युत माध्यमिक कार्मखंड
Electricity Secondary Works Division
Jhansi
हाइडिल कॉलानी, सिविल लाइंस
झांसी- उत्तर प्रदेश- 284001